संख्या:18/2024/212/2024/1440478/12-2099/161/2021

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक: 23 फरवरी, 2024**

विषय:- फसलों की उत्पादक्ता के आंकलन हेतु सांख्यिकीय विधि से कराये जाने वाले क्राप-कटिंग प्रयोगों को भारत सरकार द्वारा निर्मित सी0सी0ई0 एग्री एवं जी0सी0ई0एस0 ऐप के माध्यम से कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

फसलों के उपज के अनुमानों का आंकलन उन पर आयोजित फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर किया जाता है। इन प्रयोगों के सही-सही सम्पादन से ही उपज के सही अनुमान आंकलित किये जा सकेंगे। यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि फसलों के अनुमान के आधार पर प्रदेश में संचालित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनाओं के अन्तर्गत बीमित कृषकों की फसलों की क्षति का आंकलन करते हुए क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है। बीमित कृषकों के क्षतिपूर्ति का आंकलन करने हेतु कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा क्राप कटिंग प्रयोगों के सम्पादन हेतु सी0सी0ई0एग्री0 ऐप निर्मित किया गया है।

2. योजनान्तर्गत बीमित कृषकों के लिए क्षतिपूर्ति का निर्धारण सांख्यिकीय विधि से राजस्व कार्मिकों के द्वारा सम्पादित कराए गए फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर प्राप्त उपज के अनुमानों के अनुसार किया जाता है। योजना का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत स्तर को इकाई मानते हुए कराने के कारण वर्तमान समय में आयोजित होने वाले फसल कटाई प्रयोगों की संख्या में अत्यन्त वृद्धि हुई है, जिसके कारण यह आवश्यक है कि फसल कटाई प्रयोगों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु इनके सम्पादन हेतु पूर्व से प्रचलित सांख्यिकीय विधि के साथ ही साथ तकनीक विधि का प्रयोग करते हुए भारत सरकार द्वारा निर्मित सी0सी0ई0एग्री0 ऐप का शत-प्रतिशत सम्पादन सुनिश्चित किया जाये।

3. इसके अतिरिक्त भारत सरकार के निर्देशानुसार फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता के आंकलन हेतु तथा प्रदेश एवं भारत सरकार द्वारा अपने खाद्य नीति के निर्धारण हेतु जी0सी0ई0एस0 ऐप विकसित किया गया है, जिसका नियोजन जनपदों द्वारा किया जा चुका है, जो कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत सी0सी0ई0एग्री0 ऐप से सम्पादित किये जाने वाले क्राप कटिंग प्रयोगों की संख्या के सापेक्ष लगभग 2.2 प्रतिशत है। उत्पादन एवं उत्पादकता के आंकलन हेतु क्राप कटिंग प्रयोगों का शत-प्रतिशत सम्पादन भारत सरकार द्वारा निर्मित जी0सी0ई0एस0 ऐप से कराना सुनिश्चित किया जाये।

4. क्राप कटिंग प्रयोगों के सम्पादन हेतु रू0 260/-प्रति प्रयोग दिया जाता है, जिसमें रू0 80/-लेखपाल को मानदेय तथा रू0 80/- मजदूरी के रूप में मजदूर को एवं रू0 100/-सम्बन्धित कृषक को क्षतिपूर्ति के रूप में दिये जाने का प्राविधान है।

5. क्राप कटिंग प्रयोगों का निरीक्षण जनपद स्तर पर कार्यरत कृषि विभाग के समस्त अधिकारी एवं टी0ए0सी0 तथा राजस्व विभाग एवं विकास विभाग के समस्त अधिकारियों द्वारा अनिवार्य रूप से जिलाधिकारी के स्तर से नामित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6. अनिवार्य निरीक्षण हेतु नामित अधिकारियों की निगरानी एवं समीक्षा हेतु जनपद के अपर जिलाधिकारी (भूलेख) को नोडल अधिकारी नामित किया जाय तथा क्राप कटिंग प्रयोगों की समाप्ति के उपरान्त नोडल अधिकारी द्वारा निरीक्षण हेतु नामित अधिकारियों से क्राप कटिंग प्रयोगों की रिपोर्ट प्राप्त कर विस्तृत प्रतिवेदन शासन, राजस्व विभाग एवं कृषि विभाग को उपलब्ध कराया जाये।

7. सी0सी0ई0एग्री0 ऐप पर शत-प्रतिशत क्राप कटिंग प्रयोग सम्पादित कराने हेतु यह आवश्यक है कि जनपद के अपर जिलाधिकारी (भूलेख) द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि भारत सरकार द्वारा निर्मित सी0सी0ई0एग्री एवं जी0सी0ई0एस0 ऐप पर समस्त राजस्व कार्मिकों (लेखपालों) का प्राइमरी यूजर के रूप में रजिस्ट्रेशन करा लिया जाए। इस सम्बन्ध में शासन एवं परिषद स्तर से निर्देश भी जारी किये गये हैं।

8. आंकड़ों की गुणवत्ता एवं सुतथ्यता के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर लेखपाल एवं राजस्व निरीक्षक तथा तहसील स्तर पर तहसीलदार एवं उपजिलाधिकारी उत्तरदायी होंगें। उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु मण्डलायुक्तों/जिलाधिकारियों के द्वारा समय-समय पर बैठक/वीडियों कांफ्रेन्सिग के माध्यम से समीक्षा की जाए तथा प्रगति की सूचना राजस्व परिषद एवं शासन को उपलब्ध करायी जाए।

9. अस्तु, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए वर्तमान रबी 2023-24 मौसम में फसलों की उत्पादकता के आंकलन हेतु सांख्यिकीय विधि से कराए जाने वाले क्राप कटिंग प्रयोगों को भारत सरकार द्वारा निर्मित सी0सी0ई0एग्री0 ऐप एवं उत्पादन व उत्पादकता हेतु जी0सी0ई0एस0 ऐप के माध्यम से शत-प्रतिशत कराने का कष्ट करें, ताकि भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप क्राप कटिंग प्रयोगों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।

भवदीय,
दुर्गा शंकर मिश्र
मुख्य सचिव।

संख्या:18/2024/212(1)/2024/1440478/12-2099/161/2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. श्री रितेश चैहान, संयुक्त सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पी.एम.एफ.बी.वाई, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
5. श्रीमती रूचिका गुप्ता, सलाहकार, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
6. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, कृषि भवन, लखनऊ।
7. निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, कृषि भवन, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in